न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः–29 / 2022

मो0 फारूक पुत्र अकबर अली, जाति कायमखानी, निवासी हमीरखां का बास, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज)

– अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

– रेस्पोडेंट

— — —

अपील बखिलाफ जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं आदेश क्रमांक रसद / अभियोग / 2021 / 289 आदेश दिनांक 23.03.2022

— — —

उपस्थित : –

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः– 22.06.2022

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 23.03.2022 के विरुद्ध पेश की है। अपीलार्थी की ओर से अपील नीचे अनुसार पेश है कि आदेश दिनांक 23.03.2022 अदालत मातीत खिलाफ कानून व पत्रावली है। अपीलार्थी को वर्ष 2003 मे बास हमीरखां मे राशन वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकान अलोट हुई थी जिसके पोस कोड 14110 व प्राधिकार पत्र संख्या 1025 / 2003 है। वर्ष 2003 से उक्त उचित मूल्य की दुकान पर अपीलार्थी राशन वितरण का कार्य करता आ रहा है। दिनांक 09.11.2021 को अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर श्री कमल कुमार मीणा व श्री कपिल झाझडिया निरीक्षण पर गये जिन्होने तब आरोप पत्र मे यह दर्ज किया कि 510 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया तथा उचित मूल्य सूची बोर्ड खाली पाया गया जिसके आधार पर दिनांक 11.11.2021 को नोटिस दिया गया जिसमे दिनांक 24.11.2021 को अपीलार्थी ने उपरोक्त आरोपों का जबाब दिया। आक्षेप नं0 1 का जबाब अपीलार्थी ने यह दिया कि मूल्य सूची बोर्ड बनवाने के लिए दिया हुआ था पुराना बोर्ड खराब हो रखा था इसलिए उक्त आरोप को लाईसेंस निलम्बन का आधार नही माना जा सकता है। आक्षेप नं0 2 का जबाब अपीलार्थी ने यह दिया कि उपभोक्ता के अंगूठा का निशान व ओ0टी0पी0 नही आने पर उनके गेहूं का वितरण कर दिया था। उस समय कोरोना काल चल रहा था। गेहूं वितरण के मौखिक आदेश थे इसलिए अंगूठा के निशान के बिना ओ0टी0पी0 के मशीन सरवर डाउन होने के कारण नही चलने के कारण गेहूं का वितरण कर दिया तथा जिन–जिन लोगों को गेहूं का वितरण किया गया उनके द्वारा गेहूं प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र जबाब के साथ सलंग्न किया था फिर भी अपीलार्थी का लाईसेन्स गलत रूप से निरस्त कर दिया गया। जांच अधिकारी ने शपथ पत्र के तथ्यों पर गौर [illegible] लाईसेन्स रद्द किया है इसलिए उक्त आदेश दिनांक 23.03.2022 काबिले निरस्त है। दिनांक [illegible]2.20[illegible] को मूलचन्द को चार्ज दिया गया तब स्टाक का मिलान किया गया तब स्टाक सही पाया गया इसलिए [illegible]लार्थी पर लगाये गये आरोप स्वतः ही गलत साबित होते है इसलिए अपीलार्थी का [illegible] मातहत ने [illegible] कानूनी की है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि आ[illegible] अदालत मातहत का [illegible] क्रमांक रसद / अभियोग / 2021 / 289 आदेश दिनांक 23.03.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश [illegible] तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलार्थी का लाईसेन्स पोस कोड 14110 व प्राधिकार पत्र संख्या 1025/2003 को पुनः बहाल किये जाने का आदेश फरमावें।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि मूल्य सूची बोर्ड बनवाने के लिए दिया हुआ था व पुराना बोर्ड खराब हो रखा था इसलिए उक्त आरोप को लाईसेंस निलम्बन का आधार नही माना जा सकता है। अपीलान्ट पर 510 किलोग्राम गेहूं के गबन का आरोप लगाया गया है जो काफी अल्प मात्रा है। उपभोक्ता के अंगूठा का निशान व ओ0टी0पी0 नही आने पर उनके गेहूं का वितरण कर दिया था। उस समय कोरोना काल चल रहा था। दिनांक 07.12.2021 को मूलचन्द को चार्ज दिया गया तब स्टाक का मिलान किया गया तब स्टाक सही पाया गया इसलिए अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप स्वतः ही गलत साबित होते है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश कमांक रसद/अभियोग/2021/289 आदेश दिनांक 23.03.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा अपीलार्थी का लाईसेन्स पोस कोड 14110 व प्राधिकार पत्र संख्या 1025/2003 को पुनः बहाल किये जाने का आदेश फरमावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच मे अपीलान्ट के पास स्टॉक रजिस्टर पूर्ण नही पाया गया था। पोस मशीन मे दर्ज गेहूं की मात्रा एवं भौतिक सत्यापन मे उपलब्ध गेहूं की मात्रा मे 510 किलो का अन्तर पाया गया था जो गबन की श्रेणी मे आता है। अपीलान्ट द्वारा स्टाम्क एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नोटिस बोर्ड पर नही किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। भौतिक सत्यापन मे कम पाया गया 510 किलो गेहूं बाद मे दूसरे डीलर को चार्ज देते समय पूरा कर दिया गया था। ऐसी स्थिति मे इसे गबन नही माना जा सकता है। फिर उक्त गेहूं की मात्रा भी काफी कम है। अपीलान्ट स्टॉक सूची एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने एवं स्टॉक रजिस्टर पूर्ण नही रखने का दोषी है। अपीलान्ट को इस दोष की इतनी बडी सजा नही दी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 23.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट को पुनः बहाल करने के आदेश दिये जाते है एवं साथ अपीलान्ट के विरूद्व 1000/– रूपये की शास्ति भी आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अपीलान्ट से शास्ति राशि 1000/– रूपये वसूल कर राजकोष मे जमा करावे। आदेश की प्रति मय रिकार्ड अदालत मातहत के जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:10 IST
Reason: SelfAttested